रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937
No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

का.आ. 254(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 763(अ), तारीख 14 सितंबर, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में कतिपय संशोधनों का प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अंतर्गत करने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1396(अ), तारीख 25 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप संशोधनों को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में-

(क) उप पैरा 1(क) में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

(ख) उप पैरा 3 में "100 कि.मी." अंकों और शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

(ग) उप पैरा 5 में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

(घ) उप पैरा 7 में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ किलोमीटर" शब्द रखें जाएंगे;

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में:-

(क) उप पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि शुष्क ईएसपी फ्लाई ऐश के 20 प्रतिशत का नि:शुल्क प्रदाय करने का निर्बंधन उन तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होगा, जो विहित रीति में सौ प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग करने में समर्थ हैं।"

(ख) उप पैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(8) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैपटिव और/या सह उत्पादन केन्द्र भी हैं), अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर उनके पास उपलब्ध प्रत्येक किस्म की ऐश के स्टाक के ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके पश्चात् मास में कम से कम एक बार स्टाक की स्थिति को अद्यतन करेगा।

(9) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र समर्पित शुष्क ऐश साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक् पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि फ्लाई ऐश के परिदान को सुगम बनाया जा सके।

(10) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिए या कृषि संबंधित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिए ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 किलोमीटर की परिधि से परे और 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे परिवहन की लागत को उपयोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।

(11) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र अपने परिसरों के भीतर या अपने परिसरों के आस-पास ऐश आधारित उत्पाद संनिर्माण सुविधाओं का संवर्धन करेंगे, उन्हें अपनाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे (वित्तीय और अन्य सहबद्ध अवसंरचना)।

(12) नगरों के आस-पास बने कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों का संवर्धन करेंगे और उनकी स्थापना का समर्थन और उसमें सहायता करेंगे ताकि ईंटों और अन्य भवन संनिर्माण सामग्रियों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही परिवहन में कमी की जा सके।

(13) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी सड़क संनिर्माण का संविदाकार सड़क निर्माण में ऐश का उपयोग करता है, सड़क संनिर्माण के लिए संबद्ध प्राधिकारी संविदाकार को किए जाने वाले संदाय को तापीय विद्युत संयंत्र से ऐश के प्रदाय के प्रमाणीकरण के साथ जोड़ेगा।

(14) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण संड़क योजना के अधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों के संनिर्माण को अंतर्वलित करने वाले सरकार के आस्ति सृजन कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की संपूर्ण लागत का वहन करेगा।"।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा (2) के उप-पैरा (2क) को उप-पैरा (15) के रूप में पढ़ा जाए और उक्त उप-पैरा के अंत में निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"और तटीय जिलों में अवस्थित कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र तटरेखा सुरक्षा उपायों का समर्थन करेंगे, उनके संनिर्माण में सहायता करेंगे या उसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होंगे।"

4. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में उप-पैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) विभिन्न संनिर्माण परियोजनाओं का अनुमोदन करने वाले सभी राज्य प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ्लाई ऐश का उपयोग करने या फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के लिए तापीय विद्युत संयंत्रों और संनिर्माण अभिकरण या संविदाकारों के बीच परस्पर समझ ज्ञापन या कोई अन्य ठहराव किया जाता है।

(9) राज्य प्राधिकारी, दस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की भवन निर्माण संबंधी उप विधियों का संशोधन करेंगे ताकि भार वहन करने वाली संरचनाओं हेतु तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऐश आधारित ईंटों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

(10) संबद्ध प्राधिकारी सभी सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों में, उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा), स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और ग्रामीण आवासन स्कीम, जहां संनिर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट से अधिक है और अवसंरचना संबंधी संनिर्माण में, जिसके अंतर्गत अभिहित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों या विशेष आर्थिक जोनों में भवन निर्माण भी है, ऐश आधारित ईंटों या उत्पादों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।

(11) कृषि मंत्रालय कृषि क्रियाकलापों में ऐश के मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग का संवर्धन करने पर विचार कर सकेगा।"

5. सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने की समयावधि 31 दिसंबर, 2017 है। कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, उनके द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के अतिरिक्त उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन 31 दिसंबर, 2017 से पूर्व करेंगे।

[फा. सं. 9-8/2005-एचएसएमडी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 763(अ), तारीख 14 सितंबर, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 979(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003 और का.आ. 2804(अ), तारीख 3 नवंबर, 2009 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

S.O. 254(E).—Whereas a draft of certain amendments to the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 763(E), dated the 14th September, 1999 (hereinafter referred to as the said notification) which the Central Government proposes to make under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, **was** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1396(E), dated the 25th May, 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft amendments were made available to the public.

And, whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 25th May, 2015;

And, whereas all the objections and suggestions received from all persons likely to be affected thereby in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments to the said notification, namely: —

1. In the said notification, in paragraph 1,-

(a) in sub-paragraph 1(A), for the words "hundred kilometers", the words "three hundred kilometers" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (3), for the figures and letters "100 km", the words "three hundred kilometers" shall be substituted;

(c) in sub-paragraph (5), for the words "hundred Kilometers", the words "three hundred Kilometers" shall be substituted;

(d) in sub-paragraph (7), for the words "hundred Kilometers", the words "three hundred Kilometers" shall be substituted.

2. In the said notification, in paragraph 2:-

(a) after sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"provided further that the restriction to provide 20 % of dry ESP fly ash free of cost shall not apply to those thermal power plants which are able to utlise 100 % fly ash in the prescribed manner."

(b) after sub-paragraph (7), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(8) Every coal or lignite based thermal power plants (including captive and or co-generating stations) shall, within three months from the date of notification, upload on their website the details of stock of each type of ash available with them and thereafter shall update the stock position at least once a Month.

(9) Every coal or lignite based thermal power plants shall install dedicated dry ash silos having separate access roads so as to ease the delivery of fly ash.

(10) The cost of transportation of ash for road construction projects or for manufacturing of ash based products or use as soil conditioner in agriculture activity within a radius of hundred kilometers from a coal or lignite based thermal power plant shall be borne by such coal or lignite based thermal power plant and the cost of transportation beyond the radius of hundred kilometers and up to three hundred kilometers shall be shared equally between the user and the coal or lignite based thermal power plant.

(11) The coal or lignite based thermal power plants shall promote, adopt and set up (financial and other associated infrastructure) the ash based product manufacturing facilities within their premises or in the vicinity of their premises so as to reduce the transportation of ash.

(12) The coal or lignite based thermal power plants in the vicinity of the cities shall promote, support and assist in setting up of ash based product manufacturing units so as to meet the requirements of bricks and other building construction materials and also to reduce the transportation.

(13) To ensure that the contractor of road construction utilizes the ash in the road, the Authority concerned for road construction shall link the payment of contractor with the certification of ash supply from the thermal power plants.

(14) The coal or lignite based thermal power plants shall within a radius of three hundred kilometers bear the entire cost of transportation of ash to the site of road construction projects under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna and asset creation programmes of the Government involving construction of buildings, road, dams and embankments".

3. In the said notification, in paragraph 2, sub-paragraph (2A) be read as sub-paragraph (15) and at the end of the said sub-paragraph, the following sub-paragraph shall be added, namely:-

"and the coal or lignite based thermal power plants located in coastal districts shall support, assist or directly engage into construction of shore line protection measures."

4. In the said notification, in paragraph 3, after sub-paragraph (7), the following shall be inserted, namely:-

"(8) It shall be the responsibility of all State Authorities approving various construction projects to ensure that Memorandum of Understanding or any other arrangement for using fly ash or fly ash based products is made between the thermal power plants and the construction agency or contractors.

(9) The State Authorities shall amend Building Bye Laws of the cities having population One million or more so as to ensure the mandatory use of ash based bricks keeping in view the specifications necessary as per technical requirements for load bearing structures.

(10) The concerned Authority shall ensure mandatory use of ash based bricks or products in all Government Scheme or programmes e.g. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MNREGA), SWACHH BHARAT ABIYAN, Urban and Rural Housing Scheme, where built up area is more than 1000 square feet and in infrastructure construction including buildings in designated industrial Estates or Parks or Special Economic Zone.

(11) The Ministry of Agriculture may consider the promotion of ash utilisation in agriculture as soil conditioner."

5. The time period to comply with the above provisions by all concerned authorities is 31st December, 2017. The coal or lignite based thermal power plants shall comply with the above provision in addition to 100 % utilization of fly ash generated by them before 31st December, 2017.

[F. No. 9-8/2005-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* notification S.O. 763(E), dated the 14th September, 1999 and was subsequently amended *vide* notification S.O. 979(E), dated the 27th August, 2003 and S.O. 2804(E), dated the 3rd November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.